

प्रेषक,

रणवीर प्रसाद,  
सचिव,  
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,  
सुलतानपुर, बांदा, सोनभद्र, कानपुर नगर, कौशाम्बी एवं गाजीपुर।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 13 अक्टूबर, 2021

**विषय:-**वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य सरकार द्वारा घोषित आपदा से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत सहायता प्रदान किये जाने के लिए राज्य आपदा मोचक निधि से धनावंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना सं०-303/1-11-2016-4(जी)/2016, दिनांक: 27.06.2016 एवं अधिसूचना दिनांक 02.08.2018 द्वारा बेमौसम भारी वर्षा, अतिवृष्टि, आकाशीय विद्युत, आंधी तूफान, लू-प्रकोप, नाव दुर्घटना, सर्पदंश, सीवर सफाई, गैस रिसाव, बोरवेल में गिरना तथा अधिसूचना सं०-393/1-11-2018-4(जी)/2016, दिनांक 17.10.2018 द्वारा मानव वन्य-जीव द्वन्द्व को राज्य आपदा घोषित किया गया है। वर्ष 2021-22 में आंधी/तूफान, आकाशीय बिजली आदि आपदाओं से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण तथा शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन **रु० 6,35,00,000/- (रुपये छः करोड़ पैंतीस लाख मात्र)** की धनराशि सम्बन्धित जनपदों के जिलाधिकारी के निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख रु० में)

| क्रम सं०                          | जनपद का नाम | पूर्व में स्वीकृत धनराशि | स्वीकृत धनराशि | कुल धनराशि |
|-----------------------------------|-------------|--------------------------|----------------|------------|
| 1                                 | 2           | 3                        | 4              | 5          |
| 1                                 | सुलतानपुर   | 195.00                   | 70.00          | 265.00     |
| 2                                 | बांदा       | 270.00                   | 100.00         | 370.00     |
| 3                                 | सोनभद्र     | 645.00                   | 200.00         | 845.00     |
| 4                                 | कानपुर नगर  | 140.00                   | 85.00          | 225.00     |
| 5                                 | कौशाम्बी    | 205.00                   | 100.00         | 305.00     |
| 6                                 | गाजीपुर     | 170.00                   | 80.00          | 250.00     |
| योग                               |             | 1625.00                  | 635.00         | 2260.00    |
| (रुपये छः करोड़ पैंतीस लाख मात्र) |             |                          |                |            |

(1) स्वीकृत धनराशि आहरित करके बैंक खाते में नहीं रखी जायेगी अपितु आपदा से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को राहत प्रदान किये जाने को शासन को शीर्ष प्राथमिकता के दृष्टिगत स्वीकृत की जा रही धनराशि का पारदर्शी एवं त्वरित ढंग से वितरित किये जाने हेतु वित्त विभाग के शासनादेश सं०-ए-1-803/दस-2013-10(28)/2011, दिनांक 10.10.2013 (उक्त शासनादेश पूर्व में सभी मण्डलायुक्त/जिलाधिकारीगण को प्रेषित किया जा चुका है, जिसे राहत की वेबसाइट पर देखा एवं प्राप्त किया जा सकता है) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सम्बन्धित जनपदीय कोषागार से सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में ई-पेमेन्ट के माध्यम से ही भुगतान सुनिश्चित किया जाये।

(2) जिस मद में शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जा रही है उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा। अन्य किसी भी मद/विभागीय कार्य हेतु धनराशि का व्यय कदापि न किया जाये।

**टीआर-27 से आहरित धनराशि का प्रथमतः समायोजन किया जायेगा।**

(3) राष्ट्रीय आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि दैवीय आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को राहत सहायता का वितरण भारत सरकार के पत्र सं०-32-7/2014-एनडीएम-1, दिनांक 08.04.2015 जिसमें राहत प्रदान करने के लिए मानक/दरें निर्धारित हैं तथा जो दिनांक: 01.04.2015 से प्रभावी हैं, का भी अनपालन किया जायेगा।



(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) वितरित सहायता की सूची ग्राम सभा के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित की जाये और ग्राम सभा की अगली खुली बैठक में इस पढ़कर सुनाया भी जाये।

(6) निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित करना व्यय का पूर्व विवरण शासन की निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित प्रयोग सुनिश्चित किया जाये।

(7) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाये तथा माह के अंत में जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जायेगा और मदवार मासिक व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत आयुक्त की वेबसाइट <https://rahat.up.nic.in> पर फीड करवाना सुनिश्चित किया जाये।

(8) राज्य आपदा मोचक निधि से स्वीकृत धनराशियों के उपभोग/समर्पण के संबंध में शासनादेश सं0-2/1-11-2013-रा0-11, दिनांक 04.03.2013 का अनुपालन किया जायेगा। शासन द्वारा स्वीकृत धनराशि में से यदि कोई बचत/अवशेष की स्थिति बनती है तो उसे **वित्तीय वर्ष के समापन/दिनांक 31 मार्च, 2022 से पूर्व शासन को नियमानुसार समर्पित कर दिया जाये।**

(9) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369-एच के अधीन निर्धारित प्रारूप सं0-42 आई में शासन को उपलब्ध कराया जाये।

(10) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

2- उपरोक्त स्वीकृत धनराशि **रु० 6,35,00,000/- (रुपये छः करोड़ पैंतीस लाख मात्र)** वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक के अनुदान सं0-51 के अंतर्गत लेखाशीर्षक **"2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड-800-अन्य व्यय-06-स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-09-राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रेस्पांस फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय"** के नामे डाला जायेगा।

भवदीय,

(रणवीर प्रसाद)  
सचिव।

संख्या-1710(1)/एक-10-2021-33(36)/2018 टीसी, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ0प्र0 प्रयागराज।

2-सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3-आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 लखनऊ।

4-वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त संगठन, उ0प्र0।

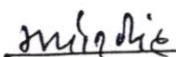
5-सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी/मुख्य कोषाधिकारी, उ0प्र0।

6-विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ0प्र0 शासन।

7-वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5

8-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

  
(मनोज कुमार सिंह)  
संयुक्त सचिव।

**Allotment Grid Report**

वित्तीय वर्ष:-2021-2022  
आवंटन दिनांक-18/10/2021

प्रेषण संख्या:- 1710  
आवंटन आदेश संख्या:- 120-2021-2022  
अनुदान संख्या:- 51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)(वित्तीय वर्ष 2021-2022 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड  
800 - अन्य व्यय  
06 -  
09 - राज्य सरकार द्वारा घोषित अन्य आपदाओं हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

(धनराशि रु. में)

| S.No. | अधिकारी/जनपद का नाम                |                    | 42-अन्य व्यय          | योग                   |
|-------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1     | कानपुर नगर-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 8500000<br>88816000   | 8500000<br>88816000   |
| 2     | बांदा -4217-जिलाधिकारी, --01--     | वर्तमान<br>प्रगामी | 10000000<br>62223000  | 10000000<br>62223000  |
| 3     | गाज़ीपुर-4217-जिलाधिकारी, --01--   | वर्तमान<br>प्रगामी | 8000000<br>60798000   | 8000000<br>60798000   |
| 4     | सुल्तानपुर-4217-जिलाधिकारी, --01-- | वर्तमान<br>प्रगामी | 7000000<br>70074000   | 7000000<br>70074000   |
| 5     | सोनभद्र-4217-जिलाधिकारी, --01--    | वर्तमान<br>प्रगामी | 20000000<br>100225000 | 20000000<br>100225000 |
| 6     | कौशाम्बी-4217-जिलाधिकारी, --01--   | वर्तमान<br>प्रगामी | 10000000<br>55776000  | 10000000<br>55776000  |
|       | योग                                | वर्तमान<br>प्रगामी | 63500000<br>437912000 | 63500000<br>437912000 |

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया छः करोड़ पैंतीस लाख  
महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया तियालीस करोड़ उन्नासी लाख बारह हजार

(अखिलेश प्रताप सिंह)  
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी  
राहत आयुक्त कार्यालय  
उ० प्र० शासन।